

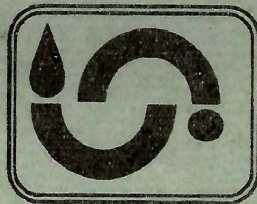


सत्यमेव जयते

जन्म – मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का

वार्षिक प्रतिवेदन

2001



आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर

जन्म – मृत्यु
रजिस्ट्रीकरण
का

वार्षिक प्रतिवेदन

2001



आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर

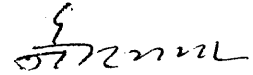
प्राक्कथन

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्यक्रम पर यह प्रतिवेदन श्रृंखला का 32 वाँ प्रकाशन है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की उप धारा 4 (4) एवं राजस्थान जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के अन्तर्गत तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में एक ओर जहाँ राज्य में रजिस्ट्रीकरण प्रणाली की सामान्य विवेचना की गई है वहीं दूसरी ओर रजिस्ट्रीकरण के स्तर में सुधार लाने के प्रयत्नों का विवरण भी दिया गया है। सामाजिक व आर्थिक विकास योजना के निर्माण हेतु छोटे भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जन्म-मृत्यु की घटनाओं के आकड़ों की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः रजिस्ट्रीकरण प्रणाली को सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जिला सांख्यिकी अधिकारियों, विकास अधिकारियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त / अधिशाषी अधिकारियों (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका) के, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के कार्य में इनके प्रयत्न सराहनीय रहे हैं।

आशा है कि यह प्रकाशन उन सभी व्यक्तियों / संस्थाओं / शोधकर्ताओं के लिये उपयोगी सिद्ध होगा, जो राज्य व जिला स्तर पर जीवनांक कार्यों में रुचि लेते हैं। इस प्रतिवेदन में सुधार लाने की दृष्टि से भेजे जाने वाले सुझावों का स्वागत है।



दिनांक:- 28-11-02

(एन.एल. खीची)

पदेन मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)

एवं

निदेशक

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

राजस्थान, जयपुर

प्रतिवेदन में सहयोगी अधिकारी एवं कर्मचारी

श्री गुलाब चन्द करोड़ीवाल

श्री भगवान सहाय जाट

श्रीमति नेहा शर्मा

श्री मातादीन शर्मा

श्री मनोहर लाल निश्चल

श्री बन्शी मोहन माथुर

श्री राजकुमार मंगल

श्री कमल कान्त शर्मा

श्री महेन्द्र कुमार गम्भीर

श्री धन्ना लाल ओझा

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं संयुक्त निदेशक

उपमुख्य रजिस्ट्रार एवं उप निदेशक

सांख्यिकी अधिकारी

सांख्यिकी सहायक

सांख्यिकी सहायक

संगणक

संगणक

कलाकार

आशुलिपिक

रिजोग्राफ ऑपरेटर

विषय सूची

1.	वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी, 2001 (एक दृष्टि में)	1—7
2.	सामान्य समीक्षा	8—10
3.	रजिस्ट्रीकरण संगठन	11—13
4.	जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की क्रियान्विति	14—17
5.	जन्म—मृत्यु रजिस्ट्रेशन में सुधार हेतु प्रचार—प्रसार व किये गये उपाय	18—21
6.	सांख्यिकी विश्लेषण	22—31
7.	जिलेवार सांख्यिकी तालिकायें	32—44

(1) वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी, 2001 एक दृष्टि में

1. रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र की जनसंख्या

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	योग
1971	21222045	4543761	25765806
1981	27051354	7210508	34261862
1991	33938877	10067113	44005990
2001	43267678	13205444	56473122

2. प्रतिशत वृद्धि दर (1971-2001)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	योग
1971-81	27.47	58.69	32.97
1981-91	25.46	39.61	28.44
1991-2001	27.49	31.17	28.33

3. लिंगानुसार जनसंख्या :-

वर्ष	पुरुष	स्त्री	योग
1971	13484383	12281423	25765806
1981	17854154	16407708	34261862
1991	23042780	20963210	44005990
2001	29381657	27091465	56473122

4. प्रतिशत वृद्धि दर :-

वर्ष	पुरुष	स्त्री	योग
1971-81	31.53	33.31	32.97
1981-91	29.06	27.76	28.44
1991-2001	27.51	29.23	28.33

2. रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र की वर्ष 2001 की अनुमानित मध्यवर्षीय

जनसंख्या:-

कुल	56846900
ग्रामीण	43315800
शहरी	13531100

3. कुल पंजीकृत जीवित जन्म (700121)

क्र.सं.	लिंग/क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	योग	कुल योग का प्रतिशत
1.	पुरुष	208072	175547	383619	54.79
2.	स्त्री	168117	148385	316502	45.21
3.	योग	376189	323932	700121	100.00
4.	प्रतिशत कुल जीवित जन्म का	53.73	46.27	100.00	—
5.	प्रतिशत 2001 की मध्यवर्षीय जनसंख्या का	0.87	2.39	1.23	—

4. कुल पंजीकृत मृत्युएं (250985)

क्र.सं.	लिंग/क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	योग	कुल योग का प्रतिशत
1.	पुरुष	116921	42227	159148	63.41
2.	स्त्री	66825	25012	91837	36.59
3.	योग	183746	67239	250985	100.00
4.	प्रतिशत कुल मृत्यु का	73.21	26.79	100.00	—
5.	प्रतिशत 2001 की मध्यवर्षीय जनसंख्या का	0.42	0.50	0.44	—

5. कुल पंजीकृत मृत जन्म (2527)

क्र.सं.	क्षेत्र / लिंग	योग	कुल योग का प्रतिशत
1.	ग्रामीण	246	9.73
2.	शहरी	2281	90.27
3.	योग	2527	100.00

6. कुल पंजीकृत मृतक शिशु संख्या (8618)

क्षेत्र/लिंग	पुरुष	स्त्री	योग	कुल योग का प्रतिशत
1. ग्रामीण	1941	1719	3660	42.47
2. शहरी	3019	1939	4958	57.53
3. योग	4960	3658	8618	100.00
4. योग का प्रतिशत	57.55	42.45	100.00	—

7. कुल पंजीकृत प्रसव मृत्युएँ (427)

क्र.सं.	क्षेत्र / लिंग	योग	कुल योग का प्रतिशत
1.	ग्रामीण	345	80.80
2.	शहरी	82	19.20
3.	योग	427	100.00

8. पंजीकृत जन्मों के आधार पर पंजीयन क्षेत्र की जन्म दर (प्रति हजार 12.31)

सूत्र :- $\frac{\text{कुल जीवित जन्म}}{\text{मध्यवर्षीय जनसंख्या}} \times 1000$

मध्यवर्षीय जनसंख्या

1.	राज्य	12.31
2.	ग्रामीण	8.68
3.	शहरी	23.94

9. प्राप्त विवरणियों का विवरण एवं जन्म दर:—

सूत्र :- $\frac{\text{कुल जीवित जन्म}}{\text{मध्यवर्षीय जनसंख्या}} \times 1000$

प्राप्त विवरणियों के आधार पर निकाली गई मध्यवर्षीय जनसंख्या

	कुल	शहरी	ग्रामीण
प्राप्त विवरणियों की संख्या	101461	2196	99265
मध्यवर्षीय जनसंख्या	51283725		
मध्यवर्षीय जनसंख्या के आधार पर निकाली गई जन्म दर	13.65		

10. पंजीकृत मृत्युओं के आधार पर पंजीयन क्षेत्र की मृत्यु दर (प्रति हजार 4.41)

सूत्र :- $\frac{\text{कुल पंजीकृत मृत्यु}}{\text{मध्यवर्षीय जनसंख्या}} \times 1000$

मध्यवर्षीय जनसंख्या

रजिस्ट्रीकृत मृत्युओं के आधार पर रजिस्ट्रीकृत क्षेत्र की मृत्यु

1. राज्य	4.41
2. ग्रामीण	4.23
3. शहरी	4.97

11. प्राप्त विवरणियों का विवरण एवं मृत्यु दर:—

सूत्र :- $\frac{\text{कुल मृत्यु}}{\text{मध्यवर्षीय जनसंख्या}} \times 1000$

प्राप्त विवरणियों के आधार पर निकाली गई मध्यवर्षीय जनसंख्या

	कुल	शहरी	ग्रामीण
प्राप्त विवरणियों की संख्या	101461	2196	99265
मध्यवर्षीय जनसंख्या	51283725		
मध्यवर्षीय जनसंख्या के आधार पर निकाली गई मृत्यु दर	4.89		

12. जीवित जन्मों के आधार पर शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार)

सूत्र :- $\frac{\text{कुल शिशु मृत्यु}}{\text{कुल जीवित जन्म}} \times 1000$

रजिस्ट्रीकृत जीवित जन्मों के आधार पर

शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार)

1.	राज्य	12.31
2.	ग्रामीण	9.73
3.	शहरी	15.31

13. जीवित जन्मों के आधार पर प्रसव मृत्यु दर (प्रति हजार)

सूत्र :- $\frac{\text{कुल प्रसवमृत्यु}}{\text{कुल प्रसव}} \times 1000$

रजिस्ट्रीकृत जीवित जन्मों के आधार पर

मृत्यु दर (प्रति हजार)

1.	राज्य	0.61
2.	ग्रामीण	1.09
3.	शहरी	0.25

14. जीवित जन्मों के आधार पर मृत जन्म दर (प्रति हजार)

सूत्र :- $\frac{\text{कुल मृत जन्म}}{\text{कुल जीवित जन्म}} \times 1000$

जीवित जन्मों के आधार पर

मृत जन्म दर (प्रति हजार)

1.	राज्य	3.61
2.	ग्रामीण	0.64
3.	शहरी	7.04

15. गत 5 वर्षों की (1997–2001) औसत जन्म दर / औसत मृत्यु दर (प्रति हजार):—

- | | |
|---|-------|
| 1. गत पाँच वर्षों की अनुमानित मध्यवर्षीय जनसंख्या के आधार पर औसत जन्म दर (रजिस्ट्रीकृत जन्मों के आधार पर) | 10.12 |
| 2. गत पाँच वर्षों की अनुमानित मध्यवर्षीय जनसंख्या के आधार पर औसत मृत्यु दर (रजिस्ट्रीकृत मृत्यु के आधार पर) | 3.73 |

2. पंजीकृत घटनाओं के आधार पर प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों के जन्म और मृत्यु की संख्या :—

- | | |
|-----------|------|
| 1. जन्म | 1212 |
| 2. मृत्यु | 1733 |

17. जीवनांक सूचकांक :—

सूत्र :— $\frac{\text{कुल जन्म दर}}{\text{मृत्यु दर}} \times 100$

- | | |
|------------|--------|
| 1. राज्य | 279.14 |
| 2. ग्रामीण | 205.20 |
| 3. शहरी | 481.69 |

18. पंजीकृत ईकाइयों की संख्या :-

	ग्रामीण	शहरी	योग
रजिस्ट्रीकृत ईकाइयों की संख्या	9189	183	9372
1. देय मासिक प्रतिवेदन	110268	2196	112464
2. प्राप्त मासिक प्रतिवेदन	99265	2196	101461
3. प्राप्ति का प्रतिशत	90.02	100.00	90.22

19. रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र :-

	संख्या
1. पंचायत समितियाँ	237
2. ग्राम पंचायतें	9189
3. नगर पालिका / परिषद / निगम	183
(अ) 30 हजार से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकायें	66
(ब) 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर परिषदें	17
(स) नगर निगम	3
4. रजिस्ट्रार:	
(अ) ग्रामीण	9189
(ब) शहरी	183

(II) सामान्य समीक्षा

यह प्रतिवेदन जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अपनी श्रृंखला का 32वां प्रकाशन है, जिसे उक्त अधिनियम की उपधारा 4 (4) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के अन्तर्गत तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में रजिस्ट्रीकरण में हुई प्रगति के साथ-साथ अधिनियमों के क्रियान्वयन में आई कठिनाईयों, उनके निवारण एवं सुधार हेतु किये गये प्रयासों को भी सम्मिलित किया गया है।

2. सिविल रजिस्ट्रेशन योजना :-

- 2.1 व्यक्ति के जन्म और मृत्यु के अन्तराल में हुई समस्त व्यक्तिगत घटनायें जैसे जन्म, विवाह, विवाह विच्छेद, एवं मृत्यु आदि को जीवनांक सांख्यिकी कहा जाता है, एवं इसी जीवनांक सांख्यिकी के अन्तर्गत सिविल रजिस्ट्रेशन योजना चलाई जा रही है। जिसमें जन्म और मृत्यु एवं मृत जन्म की घटनाओं का वैधानिक रूप से रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में केवल वैधानिक रूप से रजिस्ट्रीकृत की गई जन्म-मृत्यु एवं मृत जन्म की घटनाओं के सम्बन्ध में ही विश्लेषण किया गया है यह योजना यद्यपि शताब्दी से अधिक पुरानी है, परन्तु भारत सरकार द्वारा बनाये गये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1969 के तहत राज्य में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण को 1 अप्रैल, 1970 से कानूनन अनिवार्यता प्रदान की गई।
- 2.2 व्यक्ति विशेष के लिये यह योजना जन्म दिनोंक अनुसार आयु के प्रमाणीकरण जो कि स्कूलों में प्रवेश, जीवन बीमा, सम्पत्ति के मामले के निस्तारण, वीसा प्राप्त करने, राज्य सेवा में नौकरी आदि के लिये महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार मृत्यु प्रमाणीकरण में भी महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्र / राज्य के लिये जनसंख्या के अनुमान तैयार करने, स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति निर्धारण, शिशु मृत्यु, संक्रामक रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के लिये महत्वपूर्ण है। अतः व्यक्ति एवं राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये इस योजना से काफी सहयोग मिलता है।

3. राज्य का संक्षिप्त विवरण / परिचय :-

- 3.1 राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23.10 डिग्री से 30.12 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 69.30 डिग्री से 78.17 डिग्री पूर्व देशान्तरों के मध्य स्थित है राज्य की कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य है। जिसमें भारत का लगभग 10.4 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र एवं 5.50 प्रतिशत जनसंख्या (2001) आती है।
- 3.2 राज्य की भौगोलिक सीमा की अधिकतम लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 826 किमी. है एवं पूर्व से पश्चिम तक 869 किमी. है। राज्य की सीमा की कुल लम्बाई 5933 किमी. है, जिसमें 1070 किमी. पाकिस्तान के साथ अन्तराष्ट्रीय सीमा बनती हैं राज्य की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है उत्तर में पंजाब व हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश व दक्षिण में गुजरात एवं मध्यप्रदेश राज्य स्थित है।
- 3.3 राज्य का दो तिहाई (2/3) भाग रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्र है। जहाँ संचार सुविधायें अपेक्षाकृत कम हैं। वर्षा की कमी एवं निरन्तर सूखे के प्रकोप से रेगिस्तानी क्षेत्र में जीवन दुर्लभ हो गया है गाँव बहुत दूर-दूर बिखरे हुए हैं। जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। इन क्षेत्रों में कुओं में जलस्तर औसतन 150 से 300 फीट की गहराई पर पाया जाता है।
- 3.4 जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में नवौं स्थान है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 5.65 करोड़ है। जबकि 1991 में यह 4.40 करोड़ थी।
- 3.5 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य में जनसंख्या का घनत्व 165 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। जबकि वर्ष 1991 में 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जयपुर जिले का जनसंख्या का घनत्व 471 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य में सबसे अधिक है। जैसलमेर का जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। जिसमें 13 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

3.6 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुष एवं स्त्री का अनुपात :-

यह अनुपात 1000:922 है। राज्य के आदिवासी जिले डूंगरपुर में यह अनुपात 1000:1027 है तथा जिला जैसलमेर का नाम इस अनुपात की दृष्टि से सबसे नीचे आता है। जहाँ पर अनुपात 1000:821 है।

3.7 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य में साक्षरता 61.03 प्रतिशत है जिसमें 76.46 प्रतिशत पुरुष एवं 44.34 प्रतिशत महिलायें साक्षर हैं। जिला कोटा साक्षरता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है जहाँ साक्षरता 74.45 प्रतिशत है और सबसे कम साक्षरता दर जिला बांसवाड़ा की है। जहाँ साक्षरता केवल 44.22 प्रतिशत है।

3.8 राजस्थान राज्य 32 जिलों में, 188 उपखण्डों में एवं 241 तहसीलों में विभक्त है। ग्रामीण क्षेत्र में 237 पंचायत समितियाँ हैं जिनमें 9189 ग्राम पंचायतें हैं जिनके अधीन 39787 गाँव आबाद हैं जिनका वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 43267678 जनसंख्या है। शहरी क्षेत्र में 222 शहर / कस्बे हैं जिनकी जनसंख्या 2001 के अनुसार 13205444 है। राज्य में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 20 शहर और 30,000 से अधिक एवं 1 लाख से कम जनसंख्या वाली 66 नगरपालिकाये / नगर परिषदें हैं।

(III) रजिस्ट्रीकरण संगठन

1.1 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण योजना के अन्तर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन की जाती है। भिन्न-भिन्न प्रशासनिक विभागों से सम्बन्ध रखते हुए भी ये अधिकारी / कर्मचारी रजिस्ट्रीकरण कार्य के लिये एक ही तन्त्र के अधीन होते हैं। राज्य में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के अन्तर्गत सांख्यिकी विभाग की दिनांक 12 अक्टूबर, 1970 की अधिसूचना द्वारा, निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान को राज्य का मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त किया हुआ है। इस अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र के वॉल्यूम 23 के भाग प्रथम के संख्या 9 में दिनांक 27 मई, 1971 को हुआ।

1.2 रजिस्ट्रार:-

1. ग्रामीण क्षेत्र: ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक/ग्रुप सचिव/प्रधानाध्यापक, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार लगाया हुआ है। इसका कार्यालय प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित होता है।
2. शहरी क्षेत्र: नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगरपालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार के पद पर लगाया गया है, परन्तु जिन नगर परिषदों में आबादी एक लाख से अधिक है वहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार लगाया गया है। इसका कार्यालय प्रत्येक नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम मुख्यालय पर स्थित है।

1.3 अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार:-

राज्य की समस्त पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को उनकी पंचायत समितियों के लिये अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार लगाया हुआ है।

4. ग्राम स्वास्थ्य गाइड

अन्य (जैसे श्मशान घाट पर लकड़ी बेचने वाले, कब्र खोदने वाले आदि

5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

6. अन्य उपलब्ध कर्मचारी जैसे दाई आदि

उपरोक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के अतिरिक्त, मुख्यालय पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित स्टाफ कार्यरत है :-

1. संयुक्त निदेशक	1
2. उप निदेशक	1
3. सांख्यिकी अधिकारी	1
4. सांख्यिकी सहायक	6
5. सांख्यिकी निरीक्षक	2
6. संगणक	3
7. कनिष्ठ लिपिक	1
8. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

समस्त जिलों के जिला कलेक्टर्स को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.6.84 के अनुसार अपने-अपने जिलों के लिये अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार भी घोषित किया गया तथा उन्हें रजिस्ट्रीकरण कार्य को जिला रजिस्ट्रार एवं अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से पूर्ण कराने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।

जिला रजिस्ट्रार (जिला सांख्यिकी अधिकारी) अपने-अपने जिले में मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा प्रसारित आदेशों / निर्देशों की क्रियान्विति करते हैं एवं उनके द्वारा चाही गई विभिन्न प्रकार की सूचना तथा प्रतिवेदन भिजवाते हैं तथा अधिनियम एवं नियमों को सही ढंग से लागू करने के हेतु जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के कार्य का निरीक्षण भी करते हैं।

(IV) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की क्रियान्विति

1. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की अधिसूचना :-

राज्य में जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है। राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 दिनांक 4.12.2000 से प्रभावी है तथा इन नियमों के तहत जन्म और मृत्यु की घटना का रजिस्ट्रेशन कराना कानूनन अनिवार्य है। उक्त अधिनियम / नियमों के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार है :-

- 1.1 राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के उपबन्धों तथा इसके तहत बनाये गये नियमों एवं दिये गये आदेशों के निष्पादन के लिये मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी है। उक्त अधिनियम एवं नियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण तथा जीवनांक सांख्यिकी का संकलन एवं कम्पाईलेशन नियमित रूप से किया जाना है।
- 1.2 विलम्बित जन्म, मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण उक्त नियमों एवं उप नियमों के तहत विलम्बित रजिस्ट्रीकरण का भी प्रावधान किया गया है। इस नियम के तहत जिन जन्म / मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होती है के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान है परन्तु विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिये जो शुल्क निर्धारित किया गया है वह सूचना दाता के द्वारा रजिस्ट्रार को जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिये अनुज्ञा पत्र जारी करने की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसको पूर्ण करना होगा। वर्तमान में ऐसी घटनाओं जिनके घटित होने के 30 दिवस के पश्चात् तथा एक वर्ष की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये रजिस्ट्रार को सूचना प्राप्त होती है उसके लिये अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये निम्न अधिकारियों को राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है :-

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी सम्बन्धित जिले के लिये।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) सम्बन्धित शहरी क्षेत्र
एक लाख से अधिक आबादी वाली नगर निगम / नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त को सम्बन्धित क्षेत्र के लिये जिला रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु नियुक्त किया हुआ है।
3. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं विकास अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र के लिये

जन्म और मृत्यु की ऐसी घटनायें जिनकी सूचना एक वर्ष बाद रजिस्ट्रीकरण हेतु रजिस्ट्रार को प्राप्त होती है, में अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये राज्य सरकार ने निम्न अधिकारियों को प्राधिकृत कर रखा है :-

- | | | |
|----|-----------------|---------------------------------|
| 1. | तहसीलदार | सम्बन्धित कार्य क्षेत्र के लिये |
| 2. | ए.सी.एम. | सम्बन्धित कार्य क्षेत्र के लिये |
| 3. | एस.डी.एम. | सम्बन्धित कार्य क्षेत्र के लिये |
| 4. | ए.डी.एम. | सम्बन्धित कार्य क्षेत्र के लिये |
| 5. | सिटी मजिस्ट्रेट | सम्बन्धित कार्य क्षेत्र के लिये |
| 6. | जिला कलेक्टर | सम्बन्धित कार्य क्षेत्र के लिये |

1.3 अधिनियम की धारा 10(2) एवं 10(3) के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाण पत्र:-

- अ. (1) यह योजना वर्ष 1986 से 186 राजकीय चिकित्सालयों में क्रियान्वित की थी। वर्ष 1999 में राजकीय चिकित्सालयों की संख्या 2065 हो गई। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु के कारणों की सूची अपनाई गई और प्रत्येक कारणों को कोड दिया गया है। मृत्यु के प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण इसी आधार पर दिया जाता है। मृत्यु के प्रमाण पत्र उन चिकित्साधिकारियों द्वारा दिया जाता है जिसकी चिकित्सा सेवा के दौरान किसी व्यक्ती की मृत्यु हुई हों।

(2) उपरोक्त 2065 राजकीय चिकित्सालयों से मृत्यु के कारण का अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र की प्रति निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई जाती है। इसके कोडिंग का कार्य निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें में किया जाता है। सारणीयन का कार्य निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी राजस्थान में किया जाता है। और वर्ष 2000 तक की सूचना महारजिस्ट्रार को भिजवाई जा चुकी है।

1.4 विलम्बित जन्म रजिस्ट्रीकरण :-

(अ) विलम्बित रजिस्ट्रीकरण

(1) भारत सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के पूर्व एवं बाद की विलम्बित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 में सुविधायें प्रदान की गई हैं। जिनके लिये निम्नलिखित कानूनी प्रक्रियायें पूर्ण करनी होती हैं :-

(1) उपनियम 9(2) के अन्तर्गत विलम्बित रजिस्ट्रीकरण :-

जिस जन्म या मृत्यु की सूचना (इत्तला) रजिस्ट्रार को घटना घटित होने के 30 दिन के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर दी जावे वह केवल जिला रजिस्ट्रार को लिखित अनुज्ञा से और 5/- रुपये के विलम्बित शुल्क का संदाय (भुगतान) करने और नोटेरी पब्लिक या इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र पेश करने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जावेगी।

(2) उप नियम 2(3) के अन्तर्गत विलम्बित रजिस्ट्रीकरण :-

जो जन्म या मृत्यु होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत न की गई हो वह किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (जो वर्ष 1976 से पहले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो) के आदेश पर पाँच रुपये के विलम्ब शुल्क के संदाय (भुगतान) करने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जावेगी।

1.5 धारा 14 के प्रयोजन के लिये अवधि:-

धारा 14 के तहत यह प्रावधान है कि यदि बच्चे के जन्म होने के पश्चात् रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसका नामकरण नहीं किया है तो बिना नाम जन्म का रजिस्ट्रेशन

करने का प्रावधान है । 15 वर्ष तक जब भी माता—पिता नामकरण करते हैं तो बच्चे का नाम सम्बन्धित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने पर इन्द्राज कर संशोधित जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है । इसके लिये यह प्रावधान है कि जन्म से एक वर्ष के भीतर यदि नामकरण की सूचना दी जाती है तो कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा परन्तु एक वर्ष के बाद रुपये 5.00 का शुल्क देय होगा ।

1.6 अपराधों का अभियोजन एवं जुर्माना :—

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 24 के तहत जन्म, मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम / अधिनियम के क्रियान्वयन में बिना युक्तियुक्त कारण के व्यक्ति / कर्मचारी / अधिकारी लापरवाही या उदासीनता प्रकट करता है तो उसके विरुद्ध जुर्माना लगाने का प्रावधान है आलोच्य वर्ष में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, रामगढ़ पंचवारा पर जिला कलेक्टर दौसा ने वर्ष 1996 से 2001 तक के 997 केसेज की सूचना समय पर नहीं भिजवाने के कारण प्रति केस रुपये 10.00 की दर से रुपये 9970.00 का जुर्माना किया गया ।

81 जन्म—मृत्यु रजिस्ट्रारों पर रुपये 50.00 की दर से जुर्माना किया गया ।

(V) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन में सुधार हेतु प्रचार-प्रसार व किये गये उपाय

I प्रचार-प्रसार

वर्ष 2001 के अन्तर्गत जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण योजना के प्रोत्साहन एवं प्रगति हेतु कई कार्यक्रम लागू किये गये जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

1. जीवनांक कार्य के प्रचार-प्रसार हेतु आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर स्लोगन प्रसारित करवाये गये तथा पल्स पोलियो अभियान के साथ पोस्टरों के माध्यम से जन्म पंजीयन के महत्व का प्रचार-प्रसार करवाया गया। इसके अतिरिक्त जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित फिल्म एवं स्लाइड प्रदर्शन कराये गये, जिनसे वर्ष 2001 में 2.16 करोड़ व्यक्ति लाभान्वित हुए।
2. नियुक्तियों:-
जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, जिससे वे रजिस्ट्रार की जन्म-मृत्यु घटनाओं के रजिस्ट्रेशन में सहयोग प्रदान कर इसमें सुधार ला सकें।

(अ) सूचकों की नियुक्ति:-

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में नियुक्त सूचकों को प्रपत्र 1,2 व 3 उपलब्ध कराये गये और निर्देश दिये गये कि वे अपने क्षेत्र में हुई जन्म व मृत्यु की घटनाओं को इन प्रपत्रों में इन्द्राज कर स्थानीय रजिस्ट्रार को निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रीकरण हेतु भिजवायें।

(ब) उप रजिस्ट्रारों की नियुक्ति:-

रजिस्ट्रीकरण के कार्य को सुलभ बनाने के लिये बड़ी एवं विस्तृत रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में उप रजिस्ट्रार नियुक्त है।

(स) रजिस्ट्रारों की नियुक्ति:-

प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण में स्वतंत्र रूप से रजिस्ट्रार नियुक्त करने की दिशा में ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ आवश्यक था रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की गई । स्कूलों के क्रमोत्तर हो जाने के फलस्वरूप पूर्व में नियुक्त रजिस्ट्रारों के आदेशों में परिवर्तन / संशोधन करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनके आधार पर संशोधित नियुक्तियाँ की गई ।

3. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण ईकाइयों का निरीक्षण:-

रजिस्ट्रीकरण ईकाइयों में रजिस्ट्रीकरण कार्य में गुणात्मक एवं संख्यात्मक सुधार लाने की दृष्टि से विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक है । आलोच्य वर्ष में विभिन्न अधिकारियों द्वारा मुख्यतः जिला सांख्यिकी अधिकारियों व उनके कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी रजिस्ट्रीकरण ईकाइयों के निरीक्षण किये गये । मुख्यालय स्तर से भी अधिकारियों द्वारा नगरपालिका, पंचायत समिति एवं ग्रामीण पंचायत स्तर पर निरीक्षण किये गये ।

निरीक्षणोंपरान्त प्राप्त प्रतिवेदनों की निदेशालय स्तर पर संवीक्षा की गई एवं इनमें पाई गई त्रुटियों के निवारण हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को पत्र लिखे गये ।

II जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन के सुधार हेतु की गई व्यूह रचना एवं उपाय:-

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन के स्तर में सुधार हेतु मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु)कार्यालय एवं जिला रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा की गई व्यूह रचना एवं उपायों का विवरण इस प्रकार है:-

1. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन की शत-प्रतिशत घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु दिनांक 25.8.2000 को मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) की अध्यक्षता में जिला रजिस्ट्रारों की एक बैठक आयोजित की गई इस बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार एक 11 सूत्रीय कार्य योजना तैयार कर समस्त जिलों को भिजवाई गई । कार्य योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समस्त जिला कलेक्टरों से भी अनुरोध किया गया ।
2. राज्य स्तर पर सचिव आयोजना महोदय ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए समस्त जिला कलेक्टरों को इस कार्यालय के अर्द्धशासकीय पत्रांक 19244-74 दिनांक 15.6.2001 के द्वारा यह निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिले में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करें तथा

जिले में रजिस्ट्रेशन का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिये प्रभावी कार्यवाही करें।

3. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम में सुधार लाने के लिये मोनेटरिंग, सुपरविजन एवं निरीक्षण के सम्बन्ध में एक कार्ययोजना तैयार कर समस्त जिला कलेक्टरों को निदेशालय के पत्रांक 29467-98 दिनांक 7.9.2001 के द्वारा प्रेषित की गई।
4. महारजिस्ट्रार की माननीय मुख्य सचिव महोदय से हुई वार्ता में यह सुझाव दिया गया था कि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन के कार्य में सुधार लाने हेतु इस कार्य को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिया जाना उचित होगा। इस सुझाव पर मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार सचिव आयोजना एवं सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने चर्चा की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस कार्य को लेने में असमर्थता प्रकट की। चर्चानुसार निदेशक (आईईसी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पत्रांक 23564 दिनांक 21.7.2002 के द्वारा उनके विभाग के कार्यक्रमों के साथ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन के प्रचार-प्रसार हेतु अनुरोध किया गया।
5. महारजिस्ट्रार के द्वारा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन के प्रचार-प्रसार हेतु निदेशक जनगणना के माध्यम से रुपये 2.80 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई इस राशि से प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रित कराकर सभी रजिस्ट्रार कार्यालयों को भिजवाई गई। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने समस्त रजिस्ट्रार कार्यालयों को लगभग 1.00 लाख रुपये की राशि प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध कराई, इस राशि से जिले में जिला कलेक्टर एवं जिला प्रमुखों की तरफ से अपील जारी कराई गई।
6. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन में सुधार लाने हेतु जिला स्तर पर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक जनगणना ने संयुक्त रूप से जिला अजमेर, पाली, जालौर एवं कोटा में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक ली तथा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन कार्य की समीक्षा की।
7. राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 एवं नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के सम्बन्ध में समस्त जिलों में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रशिक्षण आयोजित किये गये। इन प्रशिक्षणों में मुख्य रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

8. निदेशक, शिक्षा विभाग के माध्यम से समस्त जिला एवं उप जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नगरीय शालाओं में प्रथम प्रवेश के समय जन्म प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से लिया जावें।
9. राजस्व विभाग के माध्यम से समस्त जिला कलेक्टरों को आदेश दिये गये कि राजस्व लेखों में भूमि नामान्तरण का कार्य मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर किया जावें।
10. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के माध्यम से समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही नवजात शिशु का नाम राशन कार्ड में अंकित करें।
11. राज्य स्तर पर 30.11.2001 को आयोजित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों की बैठक में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन की समीक्षा की गई तथा शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य हासिल करने हेतु निर्देशित किया गया।

(VI) सांख्यिकी विश्लेषण

राज्य की 9189 ग्राम पंचायतों एवं 183 नगर निगम / नगर परिषद / नगरपालिकाओं से प्राप्त मासिक एवं वार्षिक विवरणियों के आधार पर जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में किया गया सांख्यिकी विश्लेषण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

वर्ष 1991 से 2001 तक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त एवं अप्राप्त विवरणियों का प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

“अ” नगरीय क्षेत्र

वर्ष	कुल देय मासिक विवरणियों की संख्या	अप्राप्त विवरणियों की संख्या	प्रतिशत	
			अप्राप्त	प्राप्त
1.	2.	3.	4.	5.
1991	2316	—	—	100.00
1992	2316	—	—	100.00
1993	2316	—	—	100.00
1994	2304	—	—	100.00
1995	2196	—	—	100.00
1996	2196	—	—	100.00
1997	2184	—	—	100.00
1998	2193	—	—	100.00
1999	2196	—	—	100.00
2000	2196	—	—	100.00
2001	2196	—	—	100.00

“अ” ग्रामीण क्षेत्र

वर्ष	कुल देय मासिक विवरणियों की संख्या	अप्राप्त विवरणियों की संख्या	प्रतिशत	
			अप्राप्त	प्राप्त
1.	2.	3.	4.	5.
1991	88248	34287	38.85	61.15
1992	87756	32930	37.52	62.48
1993	90804	25174	27.72	72.28
1994	91464	25171	27.52	72.48
1995	110220	27009	24.50	75.50
1996	110220	37856	34.35	65.65
1997	110220	21919	19.89	80.11
1998	110211	12725	11.55	88.45
1999	110208	11032	10.01	89.99
2000	110268	7530	6.83	93.17
2001	110268	11003	9.98	90.02

आलोच्य वर्ष में शहरी क्षेत्र से गत वर्ष की भांति शत-प्रतिशत विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अप्राप्त विवरणियों का प्रतिशत 9.98 रहा है जबकि गत वर्ष यह प्रतिशत 6.83 था। इस प्रकार वर्ष 2001 में ग्रामीण क्षेत्र से गत वर्ष की अपेक्षा 3.15 प्रतिशत कम मासिक विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं कुल प्राप्ति का प्रतिशत 2001 में 90.22 रहा है जबकि गत वर्ष 2000 में यह प्रतिशत 93.30 था।

तालिका-2

राज्य अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत की गई घटनाओं का विवरण

वर्ष	जीवित जन्म	मृत्युएँ	शिशु मृत्युएँ	प्रसव मृत्युएँ	मृत जन्म
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1991	311051	115271	5558	527	1105
1992	319086	109937	5380	585	1693
1993	343131	115667	5479	837	1316
1994	340910	123268	5951	922	991
1995	369292	117023	5766	622	79
1996	367286	130479	6097	597	1378
1997	425089	150111	5140	692	1474
1998	471674	197332	7931	664	1404
1999	523805	194197	7873	640	1613
2000	610837	214922	8314	719	2115
2001	700121	250985	8618	427	2527

तालिका संख्या 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 के अन्तर्गत जीवित जन्म, मृत्यु, शिशु मृत्यु एवं मृत जन्म की घटनाओं का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2000 की अपेक्षा ज्यादा हुआ है। प्रसव मृत्यु की घटनायें गत वर्ष से कम रजिस्टर्ड हुई हैं।

तालिका -3

वर्ष 1981 से 2001 तक राज्यों में पंजीकृत घटनाओं पर आधारित जीवनांक की विभिन्न दरें
(प्रतिहजार)

वर्ष	जन्म दर			मृत्यु दर			शिशु मृत्यु दर		
	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1991	2.89	30.64	6.99	1.81	4.40	2.37	21.81	16.03	17.86
1992	2.88	21.76	7.07	1.88	4.35	2.44	21.77	14.68	16.86
1993	2.97	22.49	7.40	1.92	4.44	2.49	18.02	15.04	15.96
1994	2.82	21.80	7.14	1.96	4.68	2.58	21.19	15.82	17.45
1995	3.01	22.71	7.54	1.80	4.38	2.39	16.11	15.39	15.61
1996	2.84	20.44	6.80	1.84	4.39	2.42	16.31	16.74	16.60
1997	3.61	23.30	8.12	2.33	4.66	2.87	14.41	14.46	14.44
1998	4.74	22.57	8.92	3.41	4.79	3.73	20.20	14.49	16.81
1999	5.22	23.10	9.71	3.25	4.66	3.60	16.33	14.15	15.03
2000	7.13	22.64	11.06	3.73	4.36	3.89	12.04	15.07	13.61
2001	8.68	23.94	12.31	4.24	4.97	4.41	9.73	15.31	12.31

वर्ष 2001 में जन्म की जीवनांक दरों में वृद्धि रजिस्टर हुई है। आलोच्य वर्ष में जन्म दर एवं मृत्यु दर में गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है तथा शिशु मृत्यु दर में गत वर्ष की अपेक्षा कमी आई है।

तालिका – 4

4.1 क्षेत्रवार एवं लिंगानुसार पंजीकृत जीवित जन्म

वर्ष	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1991	55890	42780	98670	115919	96462	212381	171809	139242	311051
1992	55334	42823	98157	122051	98878	220929	177385	141701	319086
1993	59725	46979	106704	132955	103472	236427	192680	150451	343131
1994	57960	45934	103894	130552	106464	237016	188512	152398	340910
1995	64108	49570	113678	140494	115120	255614	204602	164690	369292
1996	67207	51434	118641	136981	111664	248645	204188	163098	367286
1997	81766	64053	145821	153218	126010	279268	235026	190063	425089
1998	106149	85798	191947	152445	127282	279727	258594	213080	471674
1999	115655	95446	211101	171246	141458	312704	286901	236904	523805
2000	162555	131614	294169	172836	143832	316668	335391	275446	610837
2001	208072	168117	376189	175547	148385	323932	383619	316502	700121

वृद्धि 2001 :- (+) 89284

(+) 14.62 प्रतिशत

तालिका संख्या 4.1 में अंकित आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रतिवेदन वर्ष 2001 में राज्य स्तर पर जन्म की घटनाओं में 14.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पुरुष व स्त्री रजिस्ट्रीकृत घटनाओं का प्रतिशत क्रमशः 54.79 एवं 45.21 रहा। गत वर्ष यह प्रतिशत क्रमशः 54.91 एवं

45.09 था। कुल मिलाकर वर्ष 2001 में वर्ष 2000 की तुलना में 89284 जन्म की घटनायें अधिक रजिस्ट्रीकृत की गई हैं। अर्थात् जन्म की घटनाओं में 14.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका – 4.2
क्षेत्रवार एवं लिंगानुसार पंजीकृत मृत्यु

वर्ष	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1991	36464	25220	61684	27887	15700	43587	64351	40920	105271
1992	39545	26265	65810	27891	16236	44127	67436	42501	109937
1993	41724	27301	69025	30168	16474	46642	71892	43775	115667
1994	43484	28911	72395	31609	19264	50873	75093	48175	123268
1995	41471	26296	67767	31244	18012	49256	72715	44308	117023
1996	47286	29837	77123	34003	19353	53356	81289	49190	130489
1997	58022	36171	94193	35889	20029	55918	93911	56200	150111
1998	83803	54137	137940	37656	21736	59392	121459	75873	197332
1999	78676	52492	131168	41335	21694	63029	120011	74186	194197
2000	91789	62215	154004	38705	22213	60918	130494	84428	214922
2001	116921	66825	183746	42227	25012	67239	159148	91837	250985

वृद्धि 2001 :- (+) 36063
(-) 16.78 प्रतिशत

उक्त तालिका 4.2 के अनुसार वर्ष 2001 में पुरुष एवं स्त्री की मृत्यु की रजिस्ट्रीकरण की घटनाओं का प्रतिशत क्रमशः 63.41 एवं 36.59 रहा है। जबकि गत वर्ष यह प्रतिशत क्रमशः 60.72 एवं 39.28 रहा था। कुल मिलाकर वर्ष 2001 में 2000 की तुलना में मृत्यु की 36063

घटनायें अधिक रजिस्ट्रीकृत की गई हैं अर्थात् मृत्यु की पंजीकृत घटनाओं में 16.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका संख्या 5.1
आयु वर्ग के अनुसार पंजीकृत मृत्यु (ग्रामीण क्षेत्र)

क्र. सं.	आयु वर्ग (वर्षानुसार)	मृत्यु			
		2000		2001	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	1 वर्ष से कम	3542	2.30	3660	1.99
2.	1 वर्ष से 4 वर्ष तक	4492	2.92	5284	2.87
3.	5 वर्ष से 14 वर्ष तक	5293	3.44	5348	2.91
4.	15 वर्ष से 24 वर्ष तक	7496	4.87	7307	3.98
5.	25 वर्ष से 34 वर्ष तक	9847	6.39	10981	5.98
6.	35 वर्ष से 44 वर्ष तक	12346	8.02	14888	8.10
7.	45 वर्ष से 54 वर्ष तक	18035	11.71	20811	11.33
8.	55 वर्ष से 64 वर्ष तक	26773	17.38	30249	16.46
9.	65 वर्ष से 69 वर्ष तक	31359	20.36	31560	17.18
10.	70 वर्ष और अधिक	33409	21.69	49951	27.18
11.	आयु अवर्णित	1412	0.92	3707	2.02
	योग	154004	100.00	183746	100.00

तालिका संख्या 5.2
आयु वर्ग के अनुसार पंजीकृत मृत्यु (शहरी क्षेत्र)

क्र. सं.	आयु वर्ग (वर्षानुसार)	मृत्यु			
		2000		2001	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	1 वर्ष से कम	4772	7.83	49.58	7.37
2.	1 वर्ष से 4 वर्ष तक	1403	2.30	1995	2.97
3.	5 वर्ष से 14 वर्ष तक	1577	2.59	2142	3.19
4.	15 वर्ष से 24 वर्ष तक	2794	4.59	3675	5.47
5.	25 वर्ष से 34 वर्ष तक	4623	7.59	5259	7.82
6.	35 वर्ष से 44 वर्ष तक	7109	11.67	6204	9.22
7.	45 वर्ष से 54 वर्ष तक	7372	12.10	7515	11.18
8.	55 वर्ष से 64 वर्ष तक	7962	13.07	9208	13.69
9.	65 वर्ष से 69 वर्ष तक	7078	11.62	8412	12.51
10.	70 वर्ष और अधिक	16066	26.37	17383	25.85
11.	आयु अवर्णित	162	0.27	488	0.73
	योग	60918	100.00	67239	100.00

वर्ष 2001 में ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 27.18 प्रतिशत 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में दृष्टिगत हुई है। एक वर्ष से कम आयु वर्ग में (नवजात शिशु मृत्यु) मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का प्रतिशत 1.99 रहा है। जबकि गत वर्ष 2.30 था। ग्रामीण क्षेत्र की भांति शहरी क्षेत्र में भी 25.85

प्रतिशत मृत्यु 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में दृष्टिगत हुई है। शिशु मृत्युओं का रजिस्ट्रेशन गत वर्ष की तुलना में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कम हुआ है।

जिलेवार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य की समीक्षा प्राप्त विवरणियों का प्रतिशत :-

प्रतिवेदित वर्ष में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में क्रमशः 110268 तथा 2196 विवरणियाँ प्राप्त होनी थी। जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 99265 विवरणियाँ प्राप्त हुई, जो कि 90.02 प्रतिशत रही, जबकि गत वर्ष प्राप्त विवरणियों का प्रतिशत 93.17 प्रतिशत था। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में प्राप्त विवरणियों के प्रतिशत में कुछ कमी हुई है। शहरी क्षेत्र से शत-प्रतिशत विवरणियाँ प्राप्त हुई है।

ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त विवरणियों का जिलेवार विवरण :-

प्राप्त विवरणियों का प्रतिशत	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1.	2.	3.
25 प्रतिशत तक	—	—
25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक	—	—
50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक	3	बून्दी, बारां, झालावाड़
75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक	15	कोटा, जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, चुरू, उदयपुर, बाड़मेर, टोंक, गंगानगर, बांसवाड़ा, करौली, अजमेर, अलवर, सिरोही।
100 प्रतिशत	14	बीकानेर, पाली, भीलवाड़ा, सीकर, झुन्झुनू, दौसा, नागौर, राजसमन्द, भरतपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, धौलपुर, डूंगरपुर, जालौर

जन्म दरों की समीक्षा :-

प्रस्तुत प्रतिवेदन की तालिका 3 में दी गई जन्म-मृत्यु दरें बतलाती हैं कि वर्ष 2001 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में राज्य की औसत जन्म दर 8.68 रही जबकि गत वर्ष यह 7.13 थी। इस प्रकार इसमें 1.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य में 9 जिलों की जन्म दर राज्य की औसत जन्म दर से अधिक रही है तथा 23 जिलों की जन्म दर राज्य औसत जन्म दर से नीची रही है। सर्वाधिक जन्म दर जालौर जिले में 33.93 तथा न्यूनतम हनुमानगढ़ जिले में 3.71 रही है।

शहरी क्षेत्र में राज्य की औसत जन्म दर 23.94 रही। राज्य में 21 जिलों में जन्म दर राज्य की औसत जन्म दर से ऊपर रही एवं 11 जिलों की जन्म दर राज्य औसत दर से नीची रही है। सर्वाधिक जन्म दर बांसवाड़ा में 47.65 तथा न्यूनतम चुरु में 11.35 रही।

मृत्यु दरों की समीक्षा :-

आलोच्य वर्ष में राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की औसत मृत्यु दर 4.24 रही जबकि गत वर्ष 3.73 थी। सबसे अधिक मृत्यु दर जालौर की 7.91 रही व सबसे कम मृत्यु दर बारां जिले की 2.06 रही।

शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य औसत दर 4.97 रही। उदयपुर में सबसे अधिक मृत्यु दर 8.21 रही। सबसे कम मृत्यु दर दौसा में 2.08 रही।

शिशु मृत्यु दरों की समीक्षा :-

आलोच्य वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में राज्य की औसत शिशु मृत्यु दर 9.73 रही। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर राजसमन्द में 25.64 तथा न्यूनतम जैसलमेर में 0.00 रही।

शहरी क्षेत्र में राज्य की औसत शिशु मृत्यु दर 15.31 रही। सर्वाधिक उदयपुर में 40.06 तथा न्यूनतम दौसा में 0.00 रही।

जिलेवार साँख्यिकी तालिकायें

जिलेवार जीवनांक सॉख्यकी वर्ष 2001 (ग्रामीण)

क्र.सं.	जिला	जनसंख्या जनगणना-2001	मध्यवर्षीय अनुमानित जनसंख्या	पंजीकरण इकाईयों की संख्या	देय मासिक विवरणियों की संख्या	अप्राप्त मासिक विवरणियों की संख्या	अप्राप्त मासिक विवरणियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गंगानगर	1336400	1337800	320	3840	944	24.58
2	हनुमानगढ़	1213700	1215100	251	3012	0	0.00
3	बीकानेर	1079000	1080200	219	2628	0	0.00
4	चुरु	1387200	1388800	249	2988	244	8.17
5	झुंझुनू	1518200	1519900	288	3456	0	0.00
6	अलवर	2556400	2559200	478	5736	607	10.58
7	भरतपुर	1689800	1691700	371	4452	0	0.00
8	धौलपुर	806400	807300	153	1836	0	0.00
9	करौली	1033800	1035000	224	2688	616	22.92
10	सवाईमाधोपुर	903500	904500	197	2364	308	13.03
11	दौसा	1181000	1182300	225	2700	0	0.00
12	जयपुर	2658600	2661600	488	5856	1366	23.33
13	सीकर	1815300	1817300	329	3948	0	0.00
14	नागौर	2296700	2299300	461	5532	0	0.00
15	जोधपुर	1908500	1910600	339	4068	822	20.21
16	जैसलमेर	430500	431000	128	1536	0	0.00
17	बाड़मेर	1818500	1820500	380	4560	583	12.79
18	जालौर	1338500	1340000	264	3168	0	0.00
19	सिरोही	700000	700800	151	1812	312	17.22
20	पाली	1428500	1430100	320	3840	0	0.00
21	अजमेर	1306400	1307900	276	3312	0	0.00
22	टोंक	958200	959300	231	2772	493	17.78
23	बून्दी	782300	783200	181	2172	931	42.86
24	भीलवाड़ा	1594800	1596600	381	4572	0	0.00
25	राजसमन्द	857600	858500	205	2460	0	0.00
26	उदयपुर	2142100	2144500	498	5976	1396	23.36
27	झुंझुनू	1026900	1028000	237	2844	0	0.00
28	बांसवाड़ा	1393100	1394700	325	3900	134	3.44
29	चित्तौड़गढ़	1513600	1515300	391	4692	362	7.72
30	कोटा	730700	731400	162	1944	302	15.53
31	बांस	849400	850200	215	2580	767	29.73
32	भालावाड	1012100	1013200	252	3024	816	26.98
योग		43267700	43315800	9189	110268	11003	9.98

c:\NVITAL\TAB4

जिलेवार जीवनांक सांख्यिकी वर्ष 2001 (शहरी)

क्र.सं.	जिला	जनसंख्या जनगणना-2001	मध्यवर्षीय अनुमानित जनसंख्या	पंजीकरण इकाईयों की संख्या	देय मासिक विवरणियों की संख्या	अप्राप्त मासिक विवरणियों की संख्या	अप्राप्त मासिक विवरणियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गंगानगर	452000	462500	10	120	0	0.00
2	हनुमानगढ़	303700	312300	6	72	0	0.00
3	बीकानेर	594600	604400	4	48	0	0.00
4	चुरु	535700	546800	10	120	0	0.00
5	झुंझुनू	394900	405800	12	144	0	0.00
6	अलवर	434500	451500	6	72	0	0.00
7	भरतपुर	408500	420500	9	108	0	0.00
8	धीलपुर	176400	182000	3	36	0	0.00
9	करौली	171800	178600	3	36	0	0.00
10	सवाईमाधोपुर	212500	218900	2	24	0	0.00
11	दौसा	135800	143200	3	36	0	0.00
12	जयपुर	2593800	2625600	11	132	0	0.00
13	सीकर	471900	485100	9	108	0	0.00
14	नागौर	477200	493000	10	120	0	0.00
15	जोधपुर	972300	989200	4	48	0	0.00
16	जैसलमेर	77500	80400	2	24	0	0.00
17	बाड़मेर	145300	156300	2	24	0	0.00
18	जालौर	110000	118100	3	36	0	0.00
19	सिरोही	150800	155600	5	60	0	0.00
20	पाली	390700	401100	9	108	0	0.00
21	अजमेर	874100	887100	7	84	0	0.00
22	टोंक	253100	260100	6	72	0	0.00
23	बून्दी	179000	184400	6	72	0	0.00
24	भीलवाड़ा	414700	426200	7	84	0	0.00
25	राजसमन्द	128700	134200	4	48	0	0.00
26	उदयपुर	490100	505100	5	60	0	0.00
27	डूंगरपुर	80100	86400	2	24	0	0.00
28	बांसवाड़ा	107300	115700	2	24	0	0.00
29	चित्तौड़गढ़	289100	299300	8	96	0	0.00
30	कोटा	837900	847600	4	48	0	0.00
31	बांरा	173200	179100	4	48	0	0.00
32	झालावाड़	168200	175000	5	60	0	0.00
योग		13205400	13531100	183	2196	0	0.00

c:\NVITAL\TAB4

जिलेवार जीवनांक सौख्यिकी वर्ष 2001 (शहरी एवं ग्रामीण)

क्र.सं.	जिला	जनसंख्या जनगणना-2001	मध्यवर्षीय अनुमानित जनसंख्या	पंजीकरण इकाईयों की संख्या	देय मासिक विवरणियों की संख्या	अप्राप्त मासिक विवरणियों की संख्या	अप्राप्त मासिक विवरणियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गंगानगर	1788400	1800300	330	3960	944	23.84
2	हनुमानगढ़	1517400	1527400	257	3084	0	0.00
3	बीकानेर	1673600	1684600	223	2676	0	0.00
4	चुरु	1922900	1935600	259	3108	244	7.85
5	झुन्झुनू	1913100	1925700	300	3600	0	0.00
6	अलवर	2990900	3010700	484	5808	607	10.45
7	भरतपुर	2098300	2112200	380	4560	0	0.00
8	धौलपुर	982800	989300	156	1872	0	0.00
9	करौली	1205600	1213600	227	2724	616	22.61
10	सवाईमाधोपुर	1116000	1123400	199	2388	308	12.90
11	दौसा	1316800	1325500	228	2736	0	0.00
12	जयपुर	5252400	5287200	499	5988	1366	22.81
13	सीकर	2287200	2302400	338	4056	0	0.00
14	नागौर	2773900	2792300	471	5652	0	0.00
15	जोधपुर	2880800	2899800	343	4116	822	19.97
16	जैसलमेर	508000	511400	130	1560	0	0.00
17	बाड़मेर	1963800	1976800	382	4584	583	12.72
18	जालौर	1448500	1458100	267	3204	0	0.00
19	सिरोही	850800	856400	156	1872	312	16.67
20	पाली	1819200	1831200	329	3948	0	0.00
21	अजमेर	2180500	2195000	283	3396	0	0.00
22	लौक	1211300	1219400	237	2844	493	17.33
23	बूंदी	961300	967600	187	2244	931	41.49
24	भीलवाड़ा	2009500	2022800	388	4656	0	0.00
25	राजसमन्द	986300	992700	209	2508	0	0.00
26	उदयपुर	2632200	2649600	503	6036	1396	23.13
27	झुंझुनू	1107000	1114400	239	2868	0	0.00
28	बांसवाड़ा	1500400	1510400	327	3924	134	3.41
29	चित्तौड़गढ़	1802700	1814600	399	4788	362	7.56
30	कोटा	1568600	1579000	166	1992	302	15.16
31	बारां	1022600	1029300	219	2628	767	29.19
32	झालावाड़	1180300	1188200	257	3084	816	26.46
योग		56473100	56846900	9372	112464	11003	9.78

c:\NVITAL\TAB4

पंजीकृत जीवित जन्म, मृत्यु एवं शिशु मृत्यु की संख्या लिंगानुसार, प्रसव मृत्यु एवं मृत जन्म
वर्ष 2001 (ग्रामीण)

क्र.सं.	जिला	जीवित जन्म			मृत्यु			शिशु मृत्यु			प्रसव मृत्यु	मृत जन्म
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गंगानगर	3093	2176	5269	3443	1560	5003	13	11	24	11	0
2	हनुमानगढ़	2547	1960	4507	3987	1883	5870	6	0	6	9	0
3	बीकानेर	6217	5208	11425	3811	2373	6184	20	20	40	1	0
4	चुरू	6068	4846	10914	3555	2639	6194	125	96	221	62	112
5	झुंझुनू	6290	4741	11031	2921	1775	4696	18	14	32	0	0
6	अलवर	9819	6904	16723	6510	3460	9970	50	26	76	29	8
7	भरतपुर	7152	5967	13119	4931	2360	7291	78	60	138	12	2
8	धौलपुर	2487	1859	4346	1567	914	2481	26	36	62	1	0
9	करीली	1914	1780	3694	1925	753	2678	11	12	23	1	0
10	सवाईमाधोपुर	3598	2802	6400	2158	1369	3527	36	34	70	0	0
11	दौसा	3854	3045	6899	2382	1091	3473	30	17	47	0	10
12	जयपुर	6757	5582	12339	6761	2572	9333	61	46	107	0	3
13	सीकर	8113	6148	14261	4791	2663	7454	8	4	12	1	0
14	नागौर	9331	7765	17096	5701	5037	10738	57	34	91	0	0
15	जोधपुर	13257	10659	23916	4843	2472	7315	137	119	256	22	12
16	जैसलमेर	4521	3216	7737	615	391	1006	0	0	0	0	0
17	बाड़मेर	8700	7213	15913	2488	1390	3878	18	22	40	0	0
18	जालौर	27262	18207	45469	6640	3961	10601	249	254	503	43	35
19	सिरोही	2404	2303	4707	1168	977	2145	21	31	52	0	0
20	पाली	11343	9681	21024	4184	2795	6979	59	47	106	9	0
21	अजमेर	5552	4643	10195	4671	2625	7296	70	66	136	6	7
22	टीक	3796	3282	7078	3002	1655	4657	28	31	59	3	0
23	बून्दी	3221	2455	5676	1914	1043	2957	17	12	29	0	0
24	भीलवाड़ा	6622	5518	12140	5936	2742	8678	87	84	171	18	2
25	राजसमन्द	3631	2960	6591	2456	1339	3795	87	82	169	13	0
26	उदयपुर	5542	5251	10793	6526	2768	9294	130	118	248	58	22
27	झुंझुनू	10329	8807	19136	4167	3012	7179	135	115	250	14	14
28	बांसवाड़ा	7124	7892	15016	4514	2654	7168	163	144	307	4	1
29	चित्तौड़गढ़	6988	5832	12820	4583	3420	8003	107	105	212	16	14
30	कोटा	2725	2618	5343	1830	1157	2987	9	11	20	1	0
31	बारां	2340	2018	4358	1071	677	1748	18	17	35	3	0
32	झालावाड़	5475	4779	10254	1870	1298	3168	67	51	118	8	4
योग		208072	#####	376189	116921	66825	183746	1941	1719	3660	345	246

c:\NVITAL\TAB4

पंजीकृत जीवित जन्म, मृत्यु एवं शिशु मृत्यु की संख्या लिंगानुसार, प्रसव मृत्यु एवं मृत जन्म
वर्ष 2001 (शहरी)

क्र.सं.	जिला	जीवित जन्म			मृत्यु			शिशु मृत्यु			प्रसव मृत्यु	मृत जन्म
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गंगानगर	4762	3449	8211	1262	719	1981	14	19	33	1	13
2	हनुमानगढ़	1947	1683	3630	970	502	1472	62	26	88	0	11
3	बीकानेर	6738	5830	12568	2555	1500	4055	291	158	449	2	212
4	चुरू	3274	2931	6205	1023	598	1621	22	22	44	0	0
5	झुन्झुनू	6786	5155	11941	907	485	1392	107	50	157	0	0
6	अलवर	6743	5378	12121	1232	868	2100	72	59	131	0	12
7	भरतपुर	8196	6804	15000	1324	589	1913	8	6	14	2	55
8	धौलपुर	3268	2804	6072	538	287	825	47	49	96	0	0
9	करौली	2975	2702	5677	498	224	722	21	13	34	0	9
10	सवाईमाधोपुर	3048	2730	5778	481	264	745	21	7	28	0	0
11	दौसा	2786	2191	4977	212	86	298	0	0	0	0	35
12	जयपुर	27134	23870	51004	7200	4306	11506	365	242	607	34	622
13	सीकर	7997	6571	14568	1371	719	2090	133	73	206	0	1
14	नागौर	6260	5162	11422	886	502	1388	8	9	17	0	113
15	जोधपुर	10728	9705	20433	3764	2708	6472	263	166	429	0	0
16	जैसलमेर	1383	1148	2531	216	140	356	7	1	8	0	0
17	बाड़मेर	1551	1265	2816	436	242	678	11	7	18	0	0
18	जालौर	2100	1555	3655	401	182	583	15	8	23	0	24
19	सिरोही	3337	2981	6318	613	504	1117	22	22	44	1	0
20	पाली	7085	5885	12970	1125	681	1806	47	45	92	5	179
21	अजमेर	11684	9695	21379	4293	2577	6870	385	263	648	0	150
22	टोंक	2779	2116	4895	750	315	1065	45	14	59	0	5
23	बून्दी	3748	3136	6884	601	375	976	64	40	104	2	9
24	भीलवाड़ा	4870	4210	9080	1572	821	2393	200	102	302	2	10
25	राजसमन्द	2355	2031	4386	344	208	552	5	2	7	0	0
26	उदयपुर	8529	7222	15751	2613	1534	4147	407	224	631	1	319
27	झुगरपुर	1452	1234	2686	381	281	662	48	56	104	0	30
28	बांसवाड़ा	2858	2655	5513	443	447	890	60	48	108	6	134
29	चित्तौड़गढ़	4523	3574	8097	965	555	1520	60	47	107	2	149
30	कोटा	9323	7936	17259	1811	941	2752	51	30	81	0	25
31	बारां	2723	2445	5168	653	324	977	67	64	131	0	4
32	झालावाड़	2605	2332	4937	787	528	1315	91	67	158	24	160
योग		175547	148385	323932	42227	25012	67239	3019	1939	4958	82	2281

c:\NVITAL\TAB4

पंजीकृत जीवित जन्म, मृत्यु एवं शिशु मृत्यु की संख्या लिंगानुसार, प्रसव मृत्यु एवं मृत जन्म
वर्ष 2001 (ग्रामीण एवं शहरी)

क्र.सं.	जिला	जीवित जन्म			मृत्यु			शिशु मृत्यु			प्रसव मृत्यु	मृत जन्म
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गंगानगर	7855	5625	13480	4705	2279	6984	27	30	57	12	13
2	हनुमानगढ़	4494	3643	8137	4957	2385	7342	68	26	94	9	11
3	बीकानेर	12955	11038	23993	6366	3873	10239	311	178	489	3	212
4	चुरू	9342	7777	17119	4578	3237	7815	147	118	265	62	112
5	झुन्झुनू	13076	9896	22972	3828	2260	6088	125	64	189	0	0
6	अलवर	16562	12282	28844	7742	4328	12070	122	85	207	29	20
7	भरतपुर	15348	12771	28119	6255	2949	9204	86	66	152	14	57
8	धौलपुर	5755	4663	10418	2105	1201	3306	73	85	158	1	0
9	करीली	4889	4482	9371	2423	977	3400	32	25	57	1	9
10	सवाईमाधोपुर	6646	5532	12178	2639	1633	4272	57	41	98	0	0
11	दौसा	6640	5236	11876	2594	1177	3771	30	17	47	0	45
12	जयपुर	33891	29452	63343	13961	6878	20839	426	288	714	34	625
13	सीकर	16110	12719	28829	6162	3382	9544	141	77	218	1	1
14	नागौर	15591	12927	28518	6587	5539	12126	65	43	108	0	113
15	जोधपुर	23985	20364	44349	8607	5180	13787	400	285	685	22	12
16	जैसलमेर	5904	4364	10268	831	531	1362	7	1	8	0	0
17	बाड़मेर	10251	8478	18729	2924	1632	4556	29	29	58	0	0
18	जालौर	29362	19762	49124	7041	4143	11184	264	262	526	43	59
19	सिरोही	5741	5284	11025	1781	1481	3262	43	53	96	1	0
20	पाली	18428	15566	33994	5309	3476	8785	106	92	198	14	179
21	अजमेर	17236	14338	31574	8964	5202	14166	455	329	784	6	157
22	टोंक	6575	5398	11973	3752	1970	5722	73	45	118	3	5
23	बून्दी	6969	5591	12560	2515	1418	3933	81	52	133	2	9
24	भीलवाड़ा	11492	9728	21220	7508	3563	11071	287	186	473	20	12
25	राजसमन्द	5986	4991	10977	2800	1547	4347	92	84	176	13	0
26	उदयपुर	14071	12473	26544	9139	4302	13441	537	342	879	59	341
27	झुगरपुर	11781	10041	21822	4548	3293	7841	183	171	354	14	44
28	बांसवाड़ा	9982	10547	20529	4957	3101	8058	223	192	415	10	135
29	चित्तौड़गढ़	11511	9406	20917	5548	3975	9523	167	152	319	18	163
30	कोटा	12048	10554	22602	3641	2098	5739	60	41	101	1	25
31	बारां	5063	4463	9526	1724	1001	2725	85	81	166	3	4
32	झालावाड़	8080	7111	15191	2657	1826	4483	158	118	276	32	164
योग		383619	316502	700121	159148	91837	250985	4960	3658	8618	427	2527

c:\NVITAL\TAB4

पंजीकृत घटनाओं की जिलेवार जीवनांक दरें वर्ष 2001

क्र.सं.	जिला	ग्रामीण			शहरी			योग		
		जन्म दर	मृत्यु दर	शिशु मृत्यु दर	जन्म दर	मृत्यु दर	शिशु मृत्यु दर	जन्म दर	मृत्यु दर	शिशु मृत्यु दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गंगानगर	3.94	3.74	4.55	17.75	4.28	4.02	7.49	3.88	4.23
2	हनुमानगढ़	3.71	4.83	1.33	11.62	4.71	24.24	5.33	4.81	11.55
3	बीकानेर	10.58	5.72	3.50	20.79	6.71	35.73	14.24	6.08	20.38
4	बुरु	7.86	4.46	20.25	11.35	2.96	7.09	8.84	4.04	15.48
5	झुन्झुनू	7.26	3.09	2.90	29.43	3.43	13.15	11.93	3.16	8.23
6	अलवर	6.53	3.90	4.54	26.85	4.65	10.81	9.58	4.01	7.18
7	भरतपुर	7.75	4.31	10.52	35.67	4.55	0.93	13.31	4.36	5.41
8	धौलपुर	5.38	3.07	14.27	33.36	4.53	15.81	10.53	3.34	15.17
9	करौली	3.57	2.59	6.23	31.79	4.04	5.99	7.72	2.80	6.08
10	सवाईमाधोपुर	7.08	3.90	10.94	26.40	3.40	4.85	10.84	3.80	8.05
11	दौसा	5.84	2.94	6.81	34.76	2.08	0.00	8.96	2.84	3.96
12	जयपुर	4.64	3.51	8.67	19.43	4.38	11.90	11.98	3.94	11.27
13	सीकर	7.85	4.10	0.84	30.03	4.31	14.14	12.52	4.15	7.56
14	नागौर	7.44	4.67	5.32	23.17	2.82	1.49	10.21	4.34	3.79
15	जोधपुर	12.52	3.83	10.70	20.66	6.54	21.00	15.29	4.75	15.45
16	जैसलमेर	17.95	2.33	0.00	31.48	4.43	3.16	20.08	2.66	0.78
17	बाड़मेर	8.74	2.13	2.51	18.02	4.34	6.39	9.47	2.30	3.10
18	जालौर	33.93	7.91	11.06	30.95	4.94	6.29	33.69	7.67	10.71
19	सिरोही	6.72	3.06	11.05	40.60	7.18	6.96	12.87	3.81	8.71
20	पाली	14.70	4.88	5.04	32.34	4.50	7.09	18.56	4.80	5.82
21	अजमेर	7.79	5.58	13.34	24.10	7.74	30.31	14.38	6.45	24.83
22	टोंक	7.38	4.85	8.34	18.82	4.09	12.05	9.82	4.69	9.86
23	बून्दी	7.25	3.78	5.11	37.33	5.29	15.11	12.98	4.06	10.59
24	भीलवाड़ा	7.60	5.44	14.09	21.30	5.61	33.26	10.49	5.47	22.29
25	राजसमन्द	7.68	4.42	25.64	32.68	4.11	1.60	11.06	4.38	16.03
26	उदयपुर	5.03	4.33	22.98	31.18	8.21	40.06	10.02	5.07	33.11
27	झुगरपुर	18.61	6.98	13.06	31.09	7.66	38.72	19.58	7.04	16.22
28	बांसवाड़ा	10.77	5.14	20.44	47.65	7.69	19.59	13.59	5.34	20.22
29	चित्तौड़गढ़	8.46	5.28	16.54	27.05	5.08	13.21	11.53	5.25	15.25
30	कोटा	7.31	4.08	3.74	20.36	3.25	4.69	14.31	3.63	4.47
31	बारां	5.13	2.06	8.03	28.86	5.46	25.35	9.25	2.65	17.43
32	झालावाड़	10.12	3.13	11.51	28.21	7.51	32.00	12.78	3.77	18.17
योग		8.68	4.24	9.73	23.94	4.97	15.31	12.32	4.42	12.31

c:\NVITAL\TAB4

माता की आयु एवं जन्म क्रम अनुसार जीवित जन्म
(ग्रामीण) वर्ष 2001

माता की आयु	जन्म क्रम							योग
	1	2	3	4	5	6 एवं अधिक	अवर्णित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 से कम	20	0	0	0	0	0	0	20
15.19	18372	5264	1535	0	0	0	187	25358
20.24	62988	48878	19770	4263	909	453	1362	138623
25.29	20422	33443	30991	15202	5297	1411	1131	107897
30.34	4026	10583	15002	12226	7439	4793	538	54607
35.39	1388	3351	5936	6650	4884	4831	351	27391
40.44	627	970	1499	3090	2287	2730	163	11366
45 एवं अधिक	142	207	297	533	513	547	97	2336
अवर्णित	955	1150	822	517	207	303	4637	8591
योग	108940	103846	75852	42481	21536	15068	8466	376189

माता की आयु एवं जन्म क्रम अनुसार जीवित जन्म
(शहरी) वर्ष 2001

माता की आयु	जन्म क्रम							योग
	1	2	3	4	5	6 एवं अधिक	अवर्णित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 से कम	54	0	0	0	0	0	0	54
15.19	13117	2922	0	0	0	0	85	16124
20.24	79048	39811	14017	3527	514	456	544	137917
25.29	25993	34227	24575	10145	2842	1396	523	99701
30.34	6666	10587	12270	9195	3538	2336	298	44890
35.39	2320	2810	3826	3540	1982	1985	151	16614
40.44	309	523	604	787	565	705	54	3547
45 एवं अधिक	68	84	132	122	174	139	22	741
अवर्णित	1558	465	355	385	114	68	1399	4344
योग	129133	91429	55779	27701	9729	7085	3076	323932

माता की आयु एवं जन्म क्रम अनुसार जीवित जन्म
(ग्रामीण एवं शहरी) वर्ष 2001

माता की आयु	जन्म क्रम							योग
	1	2	3	4	5	6 एवं अधिक	अवर्णित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 से कम	74	0	0	0	0	0	0	74
15.19	31489	8186	1535	0	0	0	272	41482
20.24	142036	88689	33787	7790	1423	909	1906	276540
25.29	46415	67670	55566	25347	8139	2807	1654	207598
30.34	10692	21170	27272	21421	10977	7129	836	99497
35.39	3708	6161	9762	10190	6866	6816	502	44005
40.44	936	1493	2103	3877	2852	3435	217	14913
45 एवं अधिक	210	291	429	655	687	686	119	3077
अवर्णित	2513	1615	1177	902	321	371	6036	12935
योग	238073	195275	131631	70182	31265	22153	11542	700121

आयु एवं लिंगानुसार मृत्यु वर्ष 2001

मृतक की आयु	ग्रामीण			शहरी			योग		
	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 से कम	1941	1719	3660	3019	1939	4958	4960	3658	8618
1.4	2838	2446	5284	1185	810	1995	4023	3256	7279
5.14	3119	2229	5348	1292	850	2142	4411	3079	7490
15.24	4427	2880	7307	2108	1567	3675	6535	4447	10982
25.34	6701	4280	10981	3244	2015	5259	9945	6295	16240
35.44	9415	5473	14888	4166	2038	6204	13581	7511	21092
45.54	13721	7090	20811	5197	2318	7515	18918	9408	28326
55.64	19883	10366	30249	6319	2889	9208	26202	13255	39457
65.69	19910	11650	31560	5412	3000	8412	25322	14650	39972
70 एवं अधिक	32615	17336	49951	9978	7405	17383	42593	24741	67334
अवर्णित	2351	1356	3707	307	181	488	2658	1537	4195
योग	116921	66825	183746	42227	25012	67239	159148	91837	250985

लिंगानुसार जीवित जन्म, मृत्यु एवं शिशु मृत्यु, तथा प्रसव मृत्यु एवं मृत जन्म वर्ष 2001 में पंजीकृत
(एक लाख एवं अधिक जनसंख्या वाले शहर)

क्र.सं.	शहर	जीवित जन्म			मृत्यु			शिशु मृत्यु			प्रसव मृत्यु	मृत जन्म
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग		
1	11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गंगानगर	2667	1795	4462	611	365	976	4	4	8	0	3
2	बीकानेर	6039	5197	11236	2290	1318	3608	290	156	446	2	212
3	अलवर	4584	3557	8141	950	739	1689	68	52	120	0	0
4	भरतपुर	4337	3633	7970	716	353	1069	0	1	1	2	8
5	जयपुर	22412	19703	42115	6428	3951	10379	359	238	597	34	603
6	सीकर	4366	3496	7862	699	348	1047	133	72	205	0	0
7	जोधपुर	10028	8897	18925	3464	2570	6034	263	164	427	0	0
8	पाली	3923	3299	7222	544	350	894	28	28	56	5	179
9	अजमेर	6825	5648	12473	2664	1604	4268	304	196	500	0	147
10	ब्यावर	1842	1462	3304	884	551	1435	75	54	129	0	0
11	टोंक	1442	925	2367	486	169	655	36	12	48	0	0
12	भीलवाडा	3495	2847	6342	1076	568	1644	189	98	287	0	0
13	उदयपुर	7914	6618	14532	2400	1413	3813	400	220	620	0	304
14	कोटा	8056	6734	14790	1685	865	2550	41	26	67	0	0
15	हनुमानगढ़	800	784	1584	447	222	669	60	24	84	0	1
16	बुरु	860	745	1605	191	120	311	0	0	0	0	0
17	झुंझुनूं	3040	2357	5397	248	115	363	79	32	111	0	0
18	सवाईमाधोपुर	834	842	1676	339	152	491	17	7	24	0	0
19	गंगापुर सिटी	2167	1935	4102	173	81	254	4	0	4	0	0
20	किशनगढ़	2062	1757	3819	357	177	534	1	2	3	0	2
योग		97693	82231	179924	26652	16031	42683	2351	1386	3737	43	1459

c:\NVITAL\TAB4

सारणी-7

माता के सामान्य निवास स्थान अनुसार पंजीकृत जीवित जन्म एवं मृतक के सामान्य निवास स्थान
के अनुसार पंजीकृत मृत्यु वर्ष 2001

सामान्य निवास स्थान	जन्म	मृत्यु	शिशु मृत्यु
1	3	4	5
राज्य के अन्दर	698564	250339	8577
अन्य राज्य	1557	646	41
योग	700121	250985	8618